न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-2/2015

1- हणमान पुत्र औंकार
2- मामराज पुत्र औंकार

जाति माली निवासीगण दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- सेडूराम पुत्र देवाराम
2- जगदीशप्रसाद पुत्र पोखर
3- झाबरमल पुत्र पोखर
4- बनवारीलाल पुत्र पोखर
5- मदनलाल पुत्र रामेश्वर
6- सोहनलाल पुत्र रामेश्वर
7- महावीर पुत्र रामेश्वर
8- कैलाशचन्द्र पुत्र रामेश्वर
9- रामावतार पुत्र रामेश्वर

जाति माली निवासीगण दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर ।

10-उप पंजीयक/तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
24-12-2014 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी खण्डेला ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री रामेश्वरलाल बिजारणीया एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री भवानीसिंह शेखावत एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 20.12.2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलान्टस् ने योग्य अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 243, 244, 247, 248, 249, 251 से 255, 242 कुल किता -11 कुल रकबा 2.76 हैक्टर तन ग्राम दायरा में अवस्थित है । जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हिस्सा 2/3 अप्रार्थी सं0-1 व 5 से 9 तथा हिस्सा 1/9 अप्रार्थी सं0- 3 व हिस्सा 2/9 अप्रार्थी सं0- 2 व 4 के नाम दर्ज है जो गलत दर्ज है। इस आराजी के गत ख0नं0 87 से 91, 93 से 95 हैं ।

आराजी ख0नं0 298, 299, 296 कुल किता-3 रकबा 0.64 हैक्टर तन ग्राम दायरा की खातेदारी 1/6 हिस्सा अप्रार्थी सं0-1 व 5 से 9, हिस्सा 1/3 अप्रार्थी सं0- 3 व हिस्सा 1/18 अप्रार्थी सं0- 2 व 4 के नाम से दर्ज है जो गलत है । आराजी ख0नं0 260 से 271, 273 से 277, 279, 280, 282, से 295, 297, 300, 259 कुल किता-36 रकबा 7.85 हैक्टर ग्राम दायरा की खातेदारी हिस्सा 1/6 अप्रार्थी सं0-1, 5 से 9 तथा हिस्सा 1/12 अप्रार्थी सं0- 2 से 4 के नाम दर्ज है जो गलत दर्ज है। उक्त आराजी के गत ख0नं0 520 से 524, 526 से 529, 531, 532, 535 से 541, 543 से 549, 550 से 554 थे ।प्रार्थीगण एवं तरतीबी प्रति--वादी सं0- 14 व 15 व अप्रार्थीगण का सजरा खानदान इस प्रकार है कि अमरा के दो पुत्र लादू व देवा हुये । जिसमें लादू के दो पुत्र औंकार व नरसी हुये जिसमें नरसी लापता हो गया ।औंकार के प्रार्थीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी सं0-14 व 15 हुये । देवा के तीन पुत्र पोखर सेडू व रामेश्वर हुये ।थे पोखर के वारिस झाबर जगदीश बनवारी तथा रामेश्वर के मदन, सोहन, महावीर, कैलाश व रामावतार हुये इस प्रकार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही वंश ज के सदस्य है ।विवादित आराजी पैत्रिक एवं ~~000~~ संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी है ।जिसमें प्रार्थीगण व तरतीब प्रतिवादी सं0-1 4 व 15 की 1/2 हिस्सा है । जिस पर वो काबिज काश्तकार है तथा 1/2 हिस्सा पर अप्रार्थीगण काबिज काश्तकार दर्ज है ।किन्तु सैटलमेन्ट कर्म--चारियों की गलती से यह आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई । जिसको दुरूस्त कर प्रार्थीगण अपने नाम कराने के अधिकारी है ।तथा अप्रार्थीगण को

प्रार्थना पत्र मय दावा पेश किया जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपना आदेश आर्डरशीट पर जारी किया है जिसमें कोई उनवान नहीं है तथा न ही अलग से निर्णय है । अदालत मातहत ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना केवल कयासों के आधार पर निर्णय पारित किया है । अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस् ने जबाब प्रार्थना पत्र में अमरा का सजरा खानदान को स्वीकार किया है। इस तथ्य पर भी अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत नेअपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला खातेदार काश्तकार नहीं होने पर तथा सुविधा का सन्तुलन सन् 1980 में अपाप्ति अधिकारी के नोटिस का कोई जबाब अथवा आपत्ति पेश नहीं करने पर न मानकर रेस्पोडेन्ट का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन मानकर आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है । जबकि अवाप्ति अधिकारी ने केवल देवा की आराजी में अवाप्ति के नोटिस दिये थे जिसमें अपीलान्ट को न तो ऐतराज करने का अधिकार था और न ही उसमें किसी प्रकार की जबाब की आवश्यकता थी । अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के मात्र कयासों के आधार पर सुविधा का सन्तुलन रेस्पोडेन्ट का मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है ।अपीलान्ट का विवादित आराजीमें खसरा गिरदावरी सं0-2012 सेव 2033 में कब्जा काश्त साबित होते हुये प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया केस न मानकर निर्णय करने मे कानूनी भूल की है । खसरा गिरदावरी में औंकार पुत्र लादू की काश्त स्पष्ट दर्ज है ।इसके बाद भी अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र खारिज कर रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट को बेदखल करने व आराजी को खुर्द बुर्द करने की खुली छुट दी है ।अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर विवादित आराजी की यथास्थिति के आदेश दिये जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक आराजी है । जिसमें अपीलान्ट एवं तरतीबी प्रतिवादी सं0-14 व 15 का 1/2 हिस्सा है । रेस्पोडेन्ट के पूर्वज देवा परिवार का कर्त्ता खानदान था जिसने सैटलमेन्ट के अधिकारियों से साज कर उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज करवाली तथा इसके बाद देवा के देहान्त के बाद यह आराजी रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि इस आराजी में 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट काबिज काश्तकार है । जिसका अंकन खसरा गिरदावरी सं0-2012 से 2033 में स्पष्ट रूप से दर्ज है । अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को नजर अन्दाज कर पारित किया है । जबकि अपीलान्ट का कब्जा विवादित आराजी पर बुर्जगान के समय से चला आ रहा है जिसके साक्ष्य में खसरा गिरदावरी एवं मौखिक साक्ष्य पेश किये है । अदालत मातहत ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर कोई अवलोकन न कर अपना निर्णय केवल सन् 1980 में अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस को आधार मानकर रेस्पोडेन्ट को उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने की खुल्ली छुट दी है जो विधि के विपरित है ।अपीलान्ट का उद्घोषणा का दावा है। जब तक दावा निर्णित नहीं हो जाता है तब तक न्यायहित में विवादित आराजी की यथास्थिति बनाया रखा जाना न्यायालय का भी दायित्व है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के आदेश को उचित एवं विधिक बताते हुये कथन किया कि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर न तो कब्जा है और न ही वह विवादित आराजी खातेदार तथा सहखातेदार है । अपीलान्ट का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है । विवादित आराजी के रेस्पोडेन्ट रेकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है । एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । विवादित आराजी न तो पैत्रिक है और न यह आराजी कभी भी अमरा के खातेदारी में रही है । अपीलान्ट का यह कथन भी गलत है कि विवादित आराजी देवा के महज कर्त्ता खानदान होने से दर्ज हुई है । सजरा खानदान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि देवा परिवार का कर्त्ता खानदान नहीं है, बल्कि परिवार में अमरा का बडा पुत्र लादू कर्त्ता खानदान था ।इस कारण अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि कर्त्ता खानदान होने से यह आराजी देवा की चढ गई ।रेस्पोडेन्ट विवादित आराजि के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है ।जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अदालत मातहत ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दूओं का पूर्ण रूप से विवेचन कर अपना निर्णय दिया है । जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0- 2067 से 2070 में विवादित आराजी रेस्पोन्डेन्ट्स की खाते--दारी में दर्ज है । भू-प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सं0-2008 मे खसरा नं0 520 से 524, 526 से 532, 535 से 541, 543 से 554 कुल किता-30 रकबा 33 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी पोखर सेडू, रामेश्वर पि0 देवा हि0 1/4, भूरा वल्द खेमा हि0 1/4, मंगला, रामू बूथा पि0 कालू ब0हि0ब0 1/4, मांग्या वल्द आसू हि0 1/4 के नाम दर्ज है । खसरा गिरदावरी एवं मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया । खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 में पोकर सेडू आदि का कब्जा रहा है केवल औकार वल्द लादू का 1/8 हिस्से पर कब्जा काश्त दर्ज है जो लगातार नहीं है । विवादित आराजी का राजस्व रेकार्ड के आधार पर रेस्पो0

रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है । विद्वान वकील अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त खसरा गिरदावरी के आधार पर बताते हुये नजीर आरआरडी 1983, पेज 712, आरआरडी 1993 पेज 431, आरएलडब्लू 2006(1) राज0 पेज-52, आरआरसी 1999 पेज 362 एवं आरआरसी 1988 पेज 556 पेश कब्जा काश्त के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है । दूसरी तरफ विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने आरआरटी 2015(1) पेज 618, 633, आरआरटी 2014(2) पेज-1168, 1301, आरआरटी 2014(1) पेज 523, आरआरटी 2014-15(एस0सी) पेज 657, आरआरटी 2011-12(एस0सी0) पेज 192, 217, आरआरटी 2013 पेज 123, आरआरडी 1997 पेज 30, आरआरटी 2013(2) पेज-828, आरआरटी 2010(2) पेज 1392, आरआरटी 2006(1) पेज-192, आरआरटी 2004(2) पेज-926, 1045 एवं आरआरटी 2003 पेज 981 पेश की जिसमे एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध टी0आई0 जारी नहीं की जा सकती । अपीलान्ट का विवा--दित आराजी पर साबित नहीं है ।अपीलान्ट ने विवादित आराजी को पैत्रिक बताया किन्तु यह आराजी कहीं भी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पूर्वज अमरा के नाम नहीं है ।यह आराजी जागीरदार पाना कला से देवा पुत्र अमरा के नाम दर्ज हुई है । यह आराजी कहीं भी अमरा की खातेदारी में नहीं है ।जिससे इस भूमि को पैत्रिक भी नहीं माना जा सकता। तथा रेस्पोडेन्ट रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके विरूद्ध प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में टी0आई0 जारी नहीं की जा सकती। अदालत मातहत ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दूओं पर विस्तृत विवेचन कर अपना निर्णय दिया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अत: उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी खण्डेला का निर्णय दिनांक 24-12-14 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 20.12.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर